

I/358783/2024

पत्र संख्या/एफ0टी0. 48-3814/2018 (एफ0सी0ए0)
वन विभाग हिमाचल प्रदेश ।।

प्रेषक: नोडल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0) हि0प्र0 ।

प्रेषित: उप महा निरिक्षक, वन
उप कार्यालय भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
सी0जी0ओ0 कॉम्प्लैक्स, ि त्वालिक खण्ड, लौंगवुड,
ि त्मला, हि0प्र0-171001.

दिनांक ि त्मला-1

विषय: Diversion of 0.7574 ha of forest land in favour of HPPWD for the construction of link road from Bharai to Padhya Mata Mandir (Kms.0/00 to 1/200), within the jurisdiction of Shimla Forest Division, Distt. Shimla, HP. (Online Proposal No.FP/HP/Road/118872/2021-reg.

महोदय,

आपके कार्यालय के पत्र संख्या नम्बर FC/HPB/06/63/2022 दिनांक 29.11.2023 के संदर्भ में।

2 उपरोक्त सन्दर्भ के अधीन पत्र के द्वारा इस प्रस्ताव को सैन्द्वातिक स्वीकृति प्रदान की गई जिसकी अनुपालना निम्न प्रकार से प्रस्तुत है :-

1. प्रयोक्ता अभिकरण से सी0ए0 स्कीम के अनुसार प्रतिपूर्ति पौधारोपण की मू0 426433/- की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है।
2. राज्य सरकार माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा IA No. 3840 in WP (C) No. 202/1995 में एफ0सी0ए के तहत वन भूमि के प्रत्यापण पर लगाई गई रोक को आदे ि दिनांक 08.02.2023 द्वारा हटा दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत को मामने की वचनबद्धता दी है।
3. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दि ा निर्दे ा के अनुसार भुद्ध वर्तमान मूल्य मू0 810018/- की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है।
4. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ई-पोर्टल के माध्यम से Rs, 1281451/- की राशि Adhoc-CAMPA में जमा किये गए है।
5. पूर्ण अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल पर अपलोड की दी गई है।
6. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ई-पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है।
7. प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आ य की वचन बद्धता upload कर दी गई है।
8. फ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित उपायुक्त से निर्धारित प्रमाण के माध्यम से ही सुनि चत किया जाएगा। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।

B.

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। इस आ य की वचन बद्धता upload कर दी गई है।
2. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन वन भूमि के पेडों की कटाई को न्यूनतम रखेगा, और किसी भी रूप में प्रस्ताव में दर् गई संख्या से अधिक नहीं होगी। इस आ य की वचन बद्धता upload कर दी गई है।
1. प्रतिपूरक वनीकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण के लिए विभाग द्वारा 1.3 है0 भूमि में पौधा रोपण किया जाएगा जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदे ि प्रजातियों को

- लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि नहीं की जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता upload कर दी गई है।
2. प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आ य की वचन बद्धता upload कर दी गई है।
 3. प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आ य की वचन बद्धता upload कर दी गई है।
 4. इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचनबद्धता Upload कर दी गई है।
 5. भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिा निर्देशों के अनुसार भुद्ध वर्तमान मूल्य मू0 810018/-की राशि Adhoc CAMPA में जमा करवा दिया गया है।
 6. प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आ य की वचन बद्धता upload कर दी गई है।
 7. प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आ य की वचन बद्धता upload कर दी गई है।
 8. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
 9. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव को ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
 10. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक िाविर स्थापित नहीं किया जायेगा। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
 11. प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आ य की वचन बद्धता upload कर दी गई है।
 12. इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचनबद्धता Upload कर दी गई है।
 13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पित ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त: लकड़ी, विेशतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
 14. प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आ य की वचन बद्धता upload कर दी गई है।
 15. स्थानांतरित वन भूमि की सीमायें आगे तथा पीछे की सीमाएं लिखे गये क्रम संख्या वाले 4 फीट उचे सीमेंट के खम्बों द्वारा चिन्हित की जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता upload कर दी गई है।
 16. प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आ य की वचन बद्धता upload कर दी गई है।
 17. प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आ य की वचन बद्धता upload कर दी गई है।
 18. पर्यावरण (संरक्षित) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार यदि आव यक होगा तो अभिकरण पर्यावरणीय, स्वीकृति प्राप्त करेगा। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
 19. प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आ य की वचन बद्धता upload कर दी गई है।
 20. इस प्रस्ताव को 99 वर्षों के लिए अनुमति प्रदान की जायेगी, इसके उपरान्त पुन यह अनुमति भारत सरकार से प्राप्त की जाएगी। प्रयोक्ता अभिकरण ने इस आ य की वचन बद्धता upload कर दी गई है।
 21. इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचनबद्धता Upload कर दी गई है।
 22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदे ि/ अनुदे ि आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति ली जाएगी। इस आ य की वचन बद्धता Upload कर दी गई है।
 23. ठनमे से किसी भी भार्त का उल्लंघन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन होगा इस संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दी गई वचनबद्धता Upload कर दी गई है।

अतः आपसे निवेदन है कि प्रस्ताव को वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति प्रदान की जाए।

भवदीय,

नोडल आफिसर एवं अति0 प्र0 मुख्य
अरण्यपाल (एफ0सी0ए0) हि0प्र0।

I/358783/2024